

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 17(10)नविवि/11/2019


जयपुर, दिनांक 15 MAY 2020

आदेश

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के एनेक्चर-A के बिन्दु संख्या k व l में 120 दिवस तथा 180 दिवस का उल्लेख किया गया है। अतः समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2020 के बिन्दु संख्या 2 में अंकित 120 कार्य दिवस व 240 कार्य दिवस के स्थान पर 120 दिवस व 240 दिवस तथा बिन्दु संख्या 3 में अंकित 180 कार्य दिवस व 360 कार्य दिवस के स्थान पर 180 दिवस व 360 दिवस पढ़ा/माना जावें।

इसी क्रम में कोविड-19 के मध्यनजर सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के एनेक्चर-A के बिन्दु संख्या m के अनुसार पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर सफल बोलीदाता को देय 1 प्रतिशत छूट के स्थान पर 2 प्रतिशत छूट देय होगी।

आज्ञा/से,


(मनीष कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राज0 जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम